LAYOUT PLAN "SHREE KRISHNA KUNJ"

KHASRA NO.189/65, 193/65, 203/65, 208/65, 211/65, 230/69
AT VILLAGE HARBANSPURA, TEHSIL SANGANER JAIPUR
SCALE :- 1CM = 5 MTR

1359/B/15.12.23

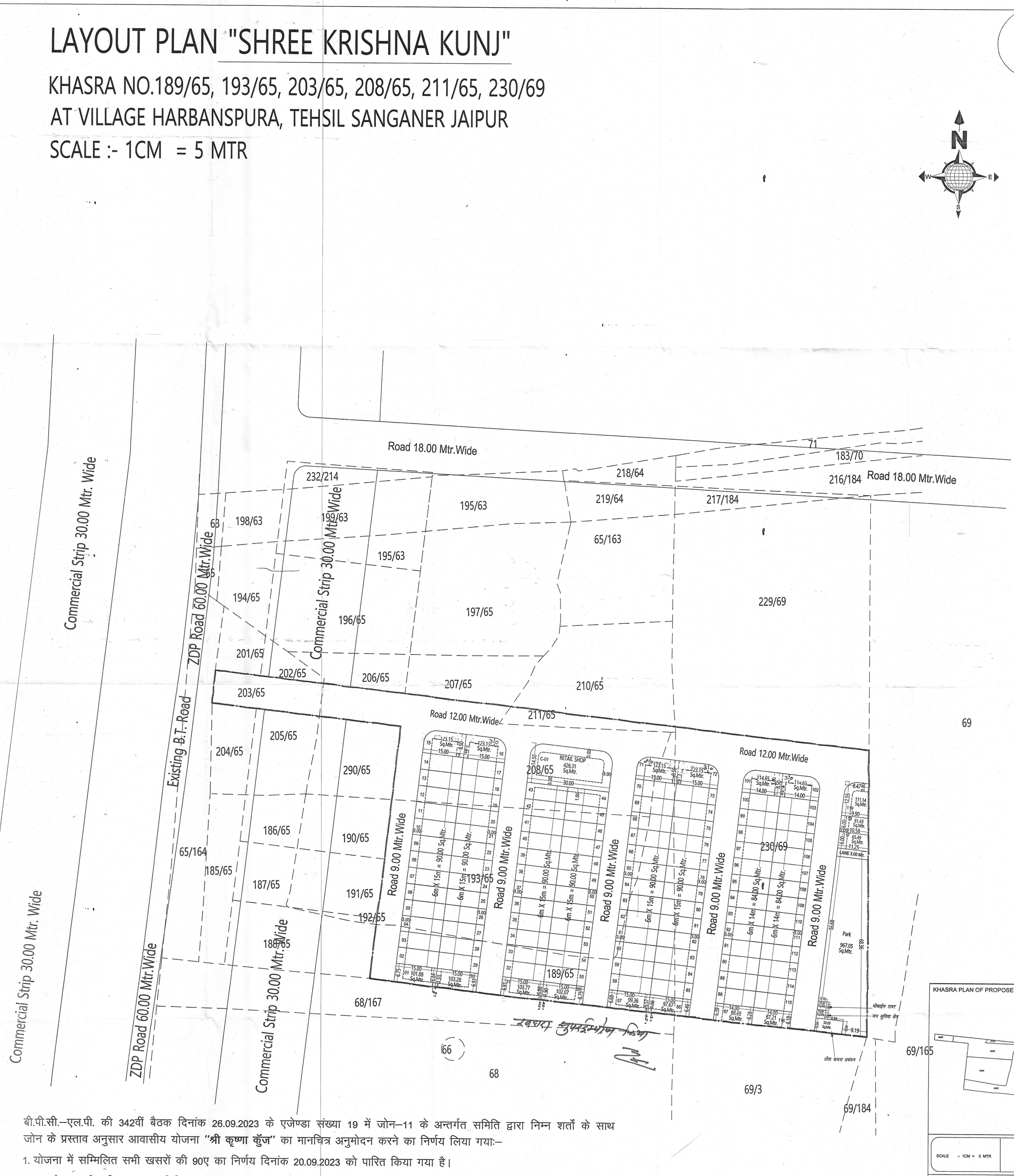

KHASRA PLAN OF PROPOSED SCHEME:-

SCALE :- 1CM = 5 MTR

योजना क्षेत्र का मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग

प्रस्तावित आवासीय योजना के भूखण्डों की गणना :-
आवासीय भूखण्ड:- 119
व्यवसायिक भूखण्ड:- 00
खुर्दरा व्यवसायिक भूखण्ड:- 1

क्र.सं.	भू -उपयोग	क्षेत्रफल(व.मी.मे)	प्रतिशत
1.	आवासीय	10767.92	55.68%
2.	खुर्दरा व्यवसायिक	426.31	02.20%
(A)	कुल क्षेत्रफल (1 TO 2)	11194.23	57.88%
3.	हरित उद्यान	967.05	05.00%
4.	ठोस कचरा प्रबंधन	50.00	00.26%
5.	मोबाईल टावर	10.00	00.05%
6.	जन सुविधा क्षेत्र	10.00	00.05%
7.	सडक	6877.44	35.56%
8.	60 मी. जेडीए सेक्टर रोड़	232.28	01.20%
(B)	कुल क्षेत्रफल (3 TO 8)	8146.77	42.12%
	योजना क्षेत्रफल (A+B)	19341.00	100.00%
	प्रस्तावित योजना की आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल	19341.00	व.मी.

NAME OF SCHEME :- "SHREE KRISHNA KUNJ"
AT VILLAGE HARBANSPURA, TEHSIL SANGANER JAIPUR

ZONE = 00 | ZDP NO= 00

NAME OF DEVELOPER :-

SUBMITTED TO :- JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

DESIGN BY:- Lakshya Associates
LAND SURVEY, PLANNING, DEMARCATION
TOWNSHIP DEVELOPMENT
ENGINEERING AND ARCHITECT CONSULTANT
E-729, Nakul Path, Opp. Jyoti Nagar Police Station
Lal Kothi Scheme, Jaipur-302015 (Raj) India
Tel: 0141-4061472, 8094888818,8233075989
Email : lakshya.dimensionarch@gmail.com
lakshyaassociatesls@gmail.com

RELEASED FOR ☐ INFORMATION ☐ APPROVAL ☐ CONSTRUCTION

LOCATION PLAN:- GOOGLE LOCATION 26.827077° 75.699882°

बी.पी.सी.–एल.पी. की 342वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 के एजेण्डा संख्या 19 में जोन–11 के अन्तर्गत समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ जोन के प्रस्ताव अनुसार आवासीय योजना **"श्री कृष्णा कुँज"** का मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया:–

1. योजना में सम्मिलित सभी खसरों की 90ए का निर्णय दिनांक 20.09.2023 को पारित किया गया है।
2. योजना की भूमि रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमा प्रमाणीकरण पटवारी द्वारा किया गया है।
3. आवेदक द्वारा 60 मीटर चौड़ी सडक से प्रभावित भूमि को जविप्रा में निःशुल्क समर्पित किये जाने के पश्चात आरक्षण पत्र जारी किया जा चुका है एवं उक्त भूमि जविप्रा के नाम दर्ज है।
4. बीपीसी–एलपी द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में योजना में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रस्तावित 12 मीटर सडक को निरन्तरता में योजना सीमा तक रखा गया है।
5. प्रकरण में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के समतुल्य राशि का मांग पत्र जारी किया जा चुका है।
6. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार जारी किया गया है।
7. योजना के भूखण्डों पर भवन–मानदण्ड भवन विनियम 2020 के अनुसार रखे गये है।
8. आंतरिक विकास कार्य की एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड जविप्रा में रहन रखे गये है:–
   भूखण्ड संख्या 31, 56, 57, 86, 87, 114, 115, 116, 117, 118, 119, रिटेल शॉप कुल 12 क्षेत्रफल 1411.13 वर्गमीटर रहन रखे गये है।

सहायक नगर नियोजक	तहसीलदार	उपायुक्त जोन–11
जोन–11	जोन–11	
वरिष्ठ नगर नियोजक		अति. मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी.(एल.पी.)		बी.पी.सी.(एल.पी.)